

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री अवधेश मीना, आई.एस

प्रार्थना पत्र संख्या- 14/2026
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2026/17

प्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक
(अभियोजन), जिला रसद
कार्यालय, डीडवाना-कुचामन।

अप्रार्थी
श्री श्रवण सैन पुत्र श्री बजरंग लाल, जाति
सैन, निवासी मैन बस स्टेण्ड, दीनदारपुरा,
डीडवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपटित द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के
निस्तारण बाबत।

-:आदेश:-

दिनांक : 14.05.2026

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2026 राजकाज रेफरेंस नम्बर 20500951 दिनांक 12.02.2026 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 19.02.2026 को श्री दीपक कुल्हार प्रवर्तन अधिकारी, श्री विरेन्द्र सिंह जाखड़ प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक के नेतृत्व में मैन बस स्टेण्ड दीनदारपुरा में स्थित चॉयल टी स्टॉल पर पहुंचे। मौके पर श्री श्रवण सैन ने अपनी कटिंग व चाय बनाने की दुकान का निरीक्षण करवाया। निरीक्षण में कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया। मौके पर चॉयल टी स्टॉल कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग/भण्डारण किये हुए पाये जाने पर श्री श्रवण सैन पुत्र श्री बजरंग लाल के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये गये श्री श्रवण सैन ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह गांव के उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई करने का काम भी करता है व कुछ घरेलू गैस सिलेण्डर गाड़ियों में गैस भरने के काम में लेता है। श्री श्रवण सैन के पास घरेलू गैस के पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री श्रवण सैन द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये गये 12 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं मौके पर 03 मोटर नियो प्रैसर पम्प के साथ को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	शुद्ध गैस (कॉलम 4-5)
1	इण्डेन	538185	00 किग्रा
2	इण्डेन	000153-S	1.00 किग्रा
3	इण्डेन	667315	1.00 किग्रा
4	इण्डेन	445368	00 किग्रा
5	इण्डेन	854060-S	00 किग्रा
6	इण्डेन	669778	14.2 किग्रा
7	इण्डेन	492517	00 किग्रा
8	इण्डेन	372079-T	00 किग्रा
9	इण्डेन	038628-T	00 किग्रा
10	इण्डेन	072822-T	00 किग्रा
11	इण्डेन	923546-S	14.2 किग्रा
12	इण्डेन	193519-B	14.2 किग्रा



जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

उपरोक्त 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 03 मोटर निये प्रैसर पम्प मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स सूपका इण्डेन गैस सूपका के प्रतिनिधि श्री लतिफ की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री श्रवण सैन का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, -2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 12 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 03 मोटर निये प्रैसर पम्प को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस रजिस्टर्ड ट्रेकिंग रिपोर्ट सहित पेश हुआ। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई।

बहस पत्रावली सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री श्रवण सैन पुत्र श्री बजरंग लाल द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 12 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 03 मोटर निये प्रैसर पम्प को मैसर्स सूपका इण्डेन गैस सूपका के प्रतिनिधि श्री लतिफ को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कराये गये।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 03 मोटर निये प्रैसर पम्प पाया गया। जांच के समय श्री श्रवण सैन पुत्र श्री बजरंग लाल के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञाप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञाप्ति रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 03 मोटर निये प्रैसर पम्प का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अवधेश मीना, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन